प्रेस विज्ञप्ति

08.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीरेंद्र सिंह कंडारी, बृज बिहारी शर्मा, किशन चंद एवं अन्य के मामले में धन औशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के 17 स्थानों पर 07/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, 1.10 करोड़ रुपए (लगभग) की नकदी, और लगभग 80 लाख रुपए मूल्य का 1.3 किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपए (लगभग) की विदेशी मुद्रा, बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण, अचल संपत्तियों से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए।

ईडी ने वीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधारआईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी वीरेंद्र सिंह कंडारी, जो पूर्व वन मंत्री, उत्तराखंड, हरक सिंह रावत के करीबी सहयोगी हैं, और नरेंद्र कुमार वालिया ने हरक सिंह रावत के साथ आपराधिक साजिश में एक भूमि की दो पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत कराई थीं, जिसके लिए माननीय न्यायालय विक्रय अभिलेख निरस्त कर चुका है। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों ने अवैध रूप से उक्त जमीन दीप्ति रावत, पत्नी- हरक सिंह रावत और लक्ष्मी सिंह को बेच दी थी, जिस पर श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देहरादून का निर्माण किया गया है।

ईडी ने बृज बिहारी शर्मा, किशन चंद और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम और पीसी अधिनियम, 1988 के तहत सतर्कता प्रतिष्ठान देहरादून द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर भी जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी किशन चंद, तत्कालीन डीएफओ और बृज बिहारी शर्मा, तत्कालीन वन रेंजर ने आपराधिक साजिश के तहत अन्य नौकरशाहों और राजनेता हरक सिंह रावत, तत्कालीन वन मंत्री के साथ मिलकर अधिकृत वित्तीय शक्तियों की अपेक्षा अधिक राशि की निविदा प्रकाशित करने की व्यवस्था की, जो उत्तराखंड सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी बनाए और टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और कैंपा शीर्ष के तहत धन का दुरुपयोग किया और जिसके कारण उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का अनुचित नुकसान पहुंचाया तथा 163 पेड़ों की जगह 6000 से अधिक पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****